रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 3, 2019/आश्विन 11, 1941	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 222
No. 252]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 3, 2019/ASVINA 11, 1941	[N.C.T.D. No. 222

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2019

सं. फा. 16(597)/श.वि./जल/2016/1783.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (एम) के अन्तर्गत दिनांक 29 नवम्बर, 2015 को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार अनुमोदित तथा दिनांक 02 फरवरी, 2016 के पत्र सं. फा. 3/24(1)/2016–आर आर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से तथा सफाई निरीक्षक, दिल्ली जलापूर्ति एवं सीवेज निपटान उपक्रम (एमसीडी) भर्ती नियमावली, 1982 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाये जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में **सफाई निरीक्षक** के पद की भर्ती पद्धति संबंधि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभः**–(1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड में **सफाई निरीक्षक** के पद के भर्ती विनियम, 2019 कहा जाये।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तरः**–उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएंः**–उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि दिल्ली जल बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. छूट प्रदान करने की शक्तिः—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. बचावः—इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**सफाई निरीक्षक**
2.	**पदों की संख्या**	:	22* (2019) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	श्रेणी ''ख'' अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	स्तर – 6 (35400–112400/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है या गैर चयन पद**	:	चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पदोन्नति द्वारा ।
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन किया जाना है।**	:	**पदोन्नतिः—** दस वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स (25500 – 81100/–रुपये) के स्तर 4 में कार्यरत तथा दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से सफाई से संबधित क्षेत्र में एक सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले निरीक्षक। **टीप 1**:— जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। **टीप 2**:— पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित

			वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?**	:	"ग" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति पदोन्नति पर विचारार्थ 1. सदस्य (प्रशा.) –अध्यक्ष 2. निदेशक (ए एण्ड पी) –सदस्य 3. सहायक आयुक्त, ग्रेड–II –सदस्य
13.	**वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवशयक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्रूपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

अन्नपूर्णा झा, अनुभाग अधिकारी (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st October, 2019

No. F. 16(597)/UD/W/2016/1783.—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause (m) of sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) approved vide Competent Authority orders dated the 29th November, 2015 and concurred by the Union Public Service Commission vide letter F. No. 3/24(1)/2016-RR dated the 2nd February, 2016 and in supersession of the Sanitary Inspector, Delhi water supply and sewage Disposal undertaking (MCD) Recruitment Rules, 1982 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, regarding method of recruitment to the post of Sanitary Inspector in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published, namely:—

1. **Short title and commencement:—**(I) These regulations may be called the Sanitary Inspector in Delhi Jal Board Recruitment Regulation, 2019.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix:—**The number of posts, their classification and level in pay matrix attached there to shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications:—**The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4 **Disqualification:—**No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Delhi Water Board, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax:—**Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:**—Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

NAME OF POST.	NUMBER OF POSTS.	CLASSIFICATION.	LEVEL IN THE PAY MATRIX.	WHETHER SELECTION OR NON-SELECTION POST.	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
SANITARY INSPECTOR.	22* (2019) *SUBJECT TO VARIATION DEPENDANT ON WORK LOAD.	CATEGORY 'B' NON MINISTERIAL.	LEVEL 6 (Rs. 35400 – 112400/-).	SELECTION.	NOT APPLICABLE.

EDUCATIONAL & OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS.	WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION RESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES.	PERIOD OF PROBATION, IF ANY.	METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT, OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.
7.	8.	9.	10.
NOT APPLICABLE.	NOT APPLICABLE.	TWO YEARS.	BY PROMOTION.

IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION OR DEPUTATION/ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION OR DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE.	IF A DEPARTMANTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION.	CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT.
11.	12.	13.
PROMOTION:- ASSISTANT SANITARY INSPECTORS WORKING IN LEVEL 4 IN THE PAY MATRIX (RS.25500-81100/-) WITH TEN YEARS REGULAR SERVICE AND HAVE UNDERGONE ONE WEEK TRAINING IN THE FIELD RELATED TO SANITATION FROM DELHI JAL BOARD TRAINING INSTITUTE. **NOTE 1:**_WHERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THEIR SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE BY MORE THAN HALF OF SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETE THEIR PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONGWITH THEIR JUNIORS WHO HAVE ALREADY COMPLETED SUCH QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE.	**CATEGORY 'C' DEPARTMANTAL PROMOTION COMMITTEE(CONSIDERING PROMOTION) CONSISTING OF:-** 1. MEMBER (ADMN) - CHAIRMAN. 2. DIRECTOR (A&P) - MEMBER. 3.ASSISTANT COMMISSIONER- G(II) - MEMBER.	CONSULTATION WITH THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NOT NECESSARY.

NOTE 2: FOR THE PURPOSE OF COMPUTING MINIMUM QUALIFYING SERVICE FOR PROMOTION, THE SERVICE RENDERED ON A REGULAR BASIS BY AN OFFICER PRIOR TO 1.1.2006. THE DATE FROM WHICH THE REVISED PAY STRUCTURE BASED ON THE 7TH CPC RECOMMENDATIONS HAS BEEN EXTENDED, SHALL BE DEEMED TO BE SERVICE RENDERED IN THE CORRESPONDING PAY/PAY SCALE EXTENDED BASED ON THE RECOMMENDATIONS OF THE PAY COMMISSION.		

By Order and in the Name of Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

ANAPURNA JHA, Section Officer (Water)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.10.05 11:36:16 +05'30'